

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठारसीन अधिकारी-श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 93/2023

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थीगण

1. लुम्बाराम पुत्र राणाराम उम्र 40 वर्ष
2. भलाराम पुत्र राणाराम उम्र 45 वर्ष
3. खरथाराम पुत्र राणाराम उम्र 47 वर्ष
4. धापूदेवी पत्नि राणाराम 70 वर्ष
जातियान जाट निवासी धतरवालो की
ढाणी
डण्डाली तहसील सिणधरी जिला
बाहमेर।

1. भीखाराम पुत्र भूराराम उम्र 50 वर्ष
2. मेहराराम पुत्र गुमनाराम उम्र 62 वर्ष
3. देराजराज पुत्र गुमनाराम उम्र 59 वर्ष
4. नगाराम पुत्र गुमनाराम उम्र 55 वर्ष
5. रामूदेवी पत्नि गुमनाराम उम्र 80 वर्ष
6. किरताराम पुत्र गुमनाराम उम्र 52 वर्ष
7. तेजाराम पुत्र भूराराम उम्र 60 वर्ष
8. हेमाराम पुत्र नारणाराम उम्र 42 वर्ष
9. बूनीदेवी पत्नि नारणाराम उम्र 56 वर्ष
10. आईदानराम पुत्र नारणाराम उम्र 42 वर्ष
11. चेनाराम पुत्र नारणाराम उम्र 38 वर्ष
12. धनाराम पुत्र लाधाराम उम्र 61 वर्ष
13. भीमाराम पुत्र लाधाराम उम्र 55 वर्ष
14. कंवराराम पुत्र पूनमाराम उम्र 40 वर्ष
15. खुमाराम पुत्र मगाराम उम्र 45 वर्ष
16. गेनाराम पुत्र पूनमाराम उम्र 32 वर्ष
17. पुरखाराम पुत्र मगाराम उम्र 50 वर्ष
18. प्रहलादराम पुत्र मगाराम उम्र 50 वर्ष
19. पीराराम पुत्र तुलसाराम उम्र 46 वर्ष
20. मूलाराम पुत्र केहराराम उम्र 57 वर्ष
21. रूखमों पत्नि मगाराम उम्र 65 वर्ष
22. रिधूदेवी पत्नि पूनमाराम उम्र 60 वर्ष
23. समरथाराम पुत्र मगाराम उम्र 35 वर्ष
24. हरजीराम पुत्र तुलसाराम उम्र 65 वर्ष
25. भोमाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 40 वर्ष
26. रूगनाथराम पुत्र भूराराम उम्र 68 वर्ष
27. राऊराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 45 वर्ष
28. सांवलाराम पुत्र भूराराम उम्र 60 वर्ष
29. हिमथाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 60 वर्ष
30. अचलाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 40 वर्ष
31. गोधूराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 50 वर्ष
32. जोगाराम पुत्र टीकूराम उर्फ टीकमाराम उम्र 48 वर्ष
33. ठाकराराम पुत्र भूराराम उम्र 45 वर्ष
34. निम्बाराम पुत्र राणाराम उम्र 40 वर्ष
35. पूनमाराम पुत्र राणाराम उम्र 42 वर्ष
36. गंगाराम पुत्र राणाराम उम्र 47 वर्ष
37. लालाराम पुत्र सालूराम उम्र 45 वर्ष
38. गवरीदेवी पत्नि राणाराम उम्र 68 वर्ष

१०७ धासी

- जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी, डण्डाली
तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
39. छगनाराम पुत्र कैतूराम उम्र 70 वर्ष
जाति मेघवाल निवासी सरेली की ढाणी
तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
40. हरचन्द्रराम पुत्र नथाराम उम्र 50 वर्ष
41. वरजूदेवी पत्नि नथाराम उम्र 75 वर्ष
जातियान सुथार निवासी सरेली की ढाणी
तहसील सिणधरी जिला बाडमेर
42. तहसीलदार सिणधरी जिला बाडमेर


**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)
उपस्थिति-**

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 19.09.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा धतरवालो की ढाणी के खसरा नम्बर 709/546 हैक्टेयर रकबा 1.2054 ,खसरा नम्बर 711/556 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल हैक्टेयर 3.6486 व मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 711/514 रकबा 2.4917 हैक्टेयर, खसरा संख्या 712/514 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा संख्या 716/419 रकबा 0.8495 हैक्टेयर खसरा संख्या 719/405 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721/544 रकबा 1.0194 हैक्टेयर,कुल रकबा 5.9786 हैक्टेयर व अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा धतरवालो की ढाणी खसरा नम्बर 709/546 हैक्टेयर रकबा 1.2054 ,खसरा नम्बर 711/556 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल हैक्टेयर 3.6486 व मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 711/514 रकबा 2.4917 हैक्टेयर, खसरा संख्या 712/514 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा संख्या 716/419 रकबा 0.8495 हैक्टेयर खसरा संख्या 719/405 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

संख्या 721/544 रकबा 1.0194 हैक्टेयर, कुल रकबा 5.9786 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा धतरवालो की ढाणी खसरा नम्बर 709/546 हैक्टेयर रकबा 1.2054, खसरा नम्बर 711/556 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल हैक्टेयर 3.6486 व मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 711/514 रकबा 2.4917 हैक्टेयर, खसरा संख्या 712/514 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा संख्या 716/419 रकबा 0.8495 हैक्टेयर खसरा संख्या 719/405 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721/544 रकबा 1.0194 हैक्टेयर, कुल रकबा 5.9786 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढों की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्राथी द्वारा मौजा धतरवालो की ढाणी खसरा नम्बर 709/546 हैक्टेयर रकबा 1.2054, खसरा नम्बर 711/556 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल हैक्टेयर 3.6486 व मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 711/514 रकबा 2.4917 हैक्टेयर, खसरा संख्या 712/514 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा संख्या 716/419 रकबा 0.8495 हैक्टेयर खसरा संख्या 719/405 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721/544 रकबा 1.0194 हैक्टेयर, कुल रकबा 5.9786 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा धतरवालो की ढाणी खसरा नम्बर 709/546 हैक्टेयर रकबा 1.2054, खसरा नम्बर 711/556 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल हैक्टेयर 3.6486 व मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 711/514 रकबा 2.4917 हैक्टेयर, खसरा संख्या 712/514 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा संख्या 716/419 रकबा 0.8495 हैक्टेयर खसरा संख्या 719/405 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721/544 रकबा 1.0194 हैक्टेयर, कुल रकबा 5.9786 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त

महेश्वरी

खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा धतरवालो की ढाणी खसरा नम्बर 709/546 हैक्टेयर रकबा 1.2054, खसरा नम्बर 711/556 रकबा 2.4432 हैक्टेयर कुल हैक्टेयर 3.6486 व मौजा सरेली की ढाणी पटवार क्षेत्र डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 711/514 रकबा 2.4917 हैक्टेयर, खसरा संख्या 712/514 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा संख्या 716/419 रकबा 0.8495 हैक्टेयर खसरा संख्या 719/405 रकबा 0.6796 हैक्टेयर, खसरा संख्या 721/544 रकबा 1.0194 हैक्टेयर, कुल रकबा 5.9786 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19.09.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



सिणधरी